

दिनांक हुक्म

111/2013

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
अशोक कुमार बनाम राजेन्द्र प्रसाद

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

15.03.2021

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। अपीलांट की ओर से श्री विजय सिंह सिंह एड0 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर विवादित जायदाद से संबंधित एक वाद मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर में विचाराधीन होने तथा हस्तगत अपील एवं वाद में पक्षकार व विवादित जायदाद समान तथा निर्णय का बिन्दु भी एक होने के कारण अपीलांट द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये अपील विद्वा करने की अनुमति प्रदान हेतु निवेदन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया गया। अपीलांट द्वारा विवादित जायदाद से संबंधित एक वाद मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मणगढ जिला अलवर में विचाराधीन होने तथा हस्तगत अपील एवं वाद के पक्षकार व विवादित जायदाद समान तथा निर्णय का बिन्दु भी एक होने के कारण अपीलांट द्वारा अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये अपील विद्वा करने की अनुमति चाही गई है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 1 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलांट के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुये अपील विद्वा किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। तदानुसार अपील अपीलांट निस्तारित की जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद पूर्ति लेख भण्डार हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। आदेश सुनाया गया।

(सेवा राम स्वामी)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर



आमालय शंभागीय आयुक्त महोदय, जयपुर

कैफ कोर्ट, अलवर राजस्थान

11/2013

सलाखन अपील संख्या - (172) (2013)

1. अशोक कुमार चत्तक पुत्र श्री शान्ती स्वक्य मुता, जाति महाजन, सम करीब 62 वर्ष, निवासी वार्ड नं 13, खेडली (दिगम्बर जैन मन्दिर के सामने) पुरानी अनाज मण्डी, खेडली, जिला अलवर, राज।

.....अपीलाण्ट

बनाम

राजेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री श्रीचन्द मुता, जाति महाजन, निवासी 661, शिव मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर।

2 राज0 सरकार जुरिगे तहसीलदार, कटूमर, जिला अलवर।

.....रेसपोडेण्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा श्रीमान तहसीलदार साहब कटूमर, दिनांक 17-01-2009 बाबत विरासत इन्तकाल संख्या 2127 दिनांक 19.

02.2009 बाके गांव सौखर तहसील कटूमर, जिला अलवर।

महोदय,

अपीलाण्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार सादर प्रस्तुत है

1. यह कि अपील हाजा आज्ञा जेरे अपील दिनांक 27.01.2009 के विरुद्ध पेश की जा रही है। जिसके तहत विरासत इन्तकाल संख्या

YRm

श्रीमान कोर्ट
अपील
1. यून कोर्ट अपील पेटे.
2. समाधान अउर खत है
3. शंभुचन्द्र निवासी कुरिय,
काठ 5, रजिस्ट्रार एन
कडूमर कमील पेश
अज्ञात अलवर
4. अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत है
5. इतना प्रस्तुत है
इन्डियन लॉ
11/2013